मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा प्रदेश की संभागीय कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 16/06/2025 को आयोजित समय-सीमा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल में प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा प्रदेश की संभागीय कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ मंडी बोर्ड मुख्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक दिनांक 16-06-2025 सायंकाल 05:30 बजे से आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर संचालक, संयुक्त संचालक, अधीक्षण यंत्री, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक एवं तकनीकी कार्यालयों से कार्यपालन /सहायक यंत्री तथा संभागीय मंडी समितियों के मंडी सचिव उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

(1) मंडी समितियों की आय की समीक्षा:- संभागवार मंडी समितियों की आय की समीक्षा की गई। समस्त संभागों का मई 2025 की आय का प्रतिशत मई 2024 एवं मई 2023 से कम रहा है। संभागीय अधिकारियों द्वारा मंडियों की आय का कम होने का कारण उपार्जन का मंडी शुल्क प्राप्त नहीं होना बताया गया। आगामी बैठक में उपार्जन के बिना मंडी शुल्क की रिपोर्ट रखने के निर्देश हैं। समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक मंडी सचिवों के साथ बैठक कर मंडी शुल्क में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की समीक्षा करें साथ ही सुनिश्चित करें की उपार्जन का भी मंडी शुल्क प्राप्त हो।

महत्वपूर्ण निर्देश:-

1. फ्लाईंग स्कॉड एप को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश हैं एवं निरीक्षण की कार्यवाही में फ्लाईंग स्कॉड एप से प्रकरण तैयार कर दर्ज करें एवं कार्य सुविधा हेतु मंडी बोर्ड मुख्यालय की आई.टी. शाखा से संपर्क करें।
2. मंडियों के भीतर किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो इस हेतु आंचलिक अधिकारी अपने संभागीय मंडियों के अच्छे खरीददार/व्यापारियों से संपर्क में रहें साथ ही लाइसेंस संबंधी समस्या के संबंध में त्वरित कार्यवाही करें। मंडी सचिव सुनिश्चित करें की मंडियों के अंदर व्यतिक्रम भुगतान की स्थिति निर्मित नहीं हो।
3. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति चौरई को निर्देशित किया जाता है कि आगामी 01 सप्ताह में किसानों के भुगतान की कार्यवाही संबंधित फर्म से पूर्ण कराएं।
4. आंचलिक कार्यालय उज्जैन के संयुक्त संचालक श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ आगामी 01 सप्ताह में यूनिफाईड लाइसेंस के संबंध में आवश्यक संशोधन हेतु एक नोट नियम सहित प्रस्तुत करेंगे।
5. समस्त समय-सीमा प्रकरणों एवं विधि संबंधी प्रकरणों पर समय-सीमा में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
6. समस्त संभागीय अधिकारी बैलेंस शीट की जानकारी एवं किसानों के भुगतान संबंधी जानकारी समय-सीमा में भेजना सुनिश्चित करें।
7. शाखावार समय-सीमा के पत्रों का अवलोकन किया गया तथा पूर्ण कार्यवाही वाले समय-सीमा के पत्रों को समय-सीमा के पत्रक से विलोपित किया गया।

धन्यवाद ज्ञाप के साथ बैठक का समापन किया गया

(कुमार पुरूषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/जून/2220 भोपाल, दिनांक 20/06/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2. अपर संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

3. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

4. उपसंचालक / कार्यपालन यंत्री/ सहायक संचालक / सहायक यंत्री (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

5 कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।

6. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) मध्यप्रदेश।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल